<u>Bill No.7 of 2025</u>

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 100-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- After the existing section 100 and before the existing section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), hereinafter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**100-A. Vesting of land in Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited and its disposal.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, any land placed at the disposal of the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) by the State Government in any manner till the commencement of the Rajasthan Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 2025 (Act No. …… of 2025) and henceforth shall be deemed to be vested in it with effect from the date of the possession of the land was or is taken over by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) for disposal of such land in the manner prescribed by the State Government and for development and management of industrial areas.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law, for the time being in force, the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) shall exercise all the powers in relation to industrial areas belonging to it, in respect of the development of industrial areas, preparation

and amendment of layout plans, sub-division and merger of plots of land, disposal of land, specifications and change of land use, granting of permissions, approvals, and other actions necessary for carrying out its functions in such industrial areas in the manner prescribed by the State Government.

(3) Notwithstanding any judgment, decision, decree, or order of any Court, any provision of this Act or the rules made thereunder, and notwithstanding any omissions or defects or form of procedure or want of competent sanction or approval, it is hereby declared that all transfer of land, sub-divisions, or mergers of plots or land, regularization, specifications and change of land use or all other acts done by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), so far in relation to land in industrial areas under its control and management, shall be treated as having been done under the authority of the State Government and shall be deemed to be valid for all purposes.

(4) Subject to the rules framed by the State Government, the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), may, from time to time, make regulations for all or any matters provided under this section and generally for all other matters in its opinion considered necessary for the exercise of its powers and the discharge of its functions and duties. Such regulations shall take effect on its publication in the Official Gazette.".

2. Amendment of section 261, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- In sub-section (2) of section 261 of the principal Act, after the existing clause (xvii) and before the existing clause (xviii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(xvii-a) prescribing the manner of giving effect to the provisions of section 100-A about the land placed and vested in the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO),".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government has encountered certain challenges in the management and operation of the industrial areas transferred from the Industries Department to the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) under Order No. F. 4(56) Industry/1/79 dated 18.09.1979. Following this transfer, RIICO officials have granted approvals for transfers, sub-divisions, and regularizations within these areas. However, in its judgement dated 20.04.2023 in Civil Appeal No. 2963 of 2023 and other connected matters, the Hon'ble Supreme Court did not recognise rights of RIICO for want of any indenture of law.

As a result, questions have been raised regarding the validity of earlier permissions granted by RIICO in these transferred industrial areas. Furthermore, RIICO has ceased issuing permissions for such areas, causing difficulties for both existing lessees and prospective investors in the manufacturing and service sectors. This has negatively impacted the State's industrial environment. Therefore, the State Government deems it necessary to validate all actions taken by RIICO in these industrial areas from 18.9.1979 till the proposed Amendment and Validation Act comes into effect.

Additionally, the government land allotted to RIICO for the development of industrial areas is granted on a leasehold basis under rules formulated by the State Government, as per the powers conferred by section 100 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956). Similarly, the disposal of private land acquired for RIICO by the State Government as well as government land allotted for industrial purposes have been governed by the RIICO Disposal of Land Rules, 1979, which lack statutory force as held by the Hon'ble Supreme Court in its above cited judgement.

To get out of the impasse, the State Government seeks to ensure that government land allocated for establishment of industrial areas vests in RIICO and is disposed of according to rules framed by the State Government. The proposed amendment shall provide statutory backing for disposal of such lands, along with validating transfers and sub-divisions and other actions taken previously by RIICO in industrial areas established by the Government of Rajasthan. Additionally, it is proposed that land

already given to RIICO by allotment or by handing it over shall be deemed to have been placed at disposal of RIICO and shall be deemed to have vested in it with authority for disposal and taking all other actions in the manner prescribed by the State Government. It is also proposed to empower RIICO to frame regulations.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

हेमन्त मीणा,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill, if enacted, shall empower, the State Government to make rules and, the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) to make regulations with regard to matters enumerated therein.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

हेमन्त मीणा,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956
(Act No. 15 of 1956)

XX XX XX XX XX XX

261. Power to make rules.- (1) xx xx xx xx

(2) The State Government may make rules consistent with the provisions of this Act,-

(i) to (xvi) xx xx xx xx xx

(xvii) regulating under Sectjon 100 sales of land in industrial and commercial areas,

(xviii) regulating under Section 101 the allotment of lands for agricultural purposes

(xix) to (xliii) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

2025 का विधेयक सं.7

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 में नयी धारा 100-क का अंत:स्थापन.- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 100 के पश्चात् और विद्यमान धारा 101 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"100-क.- राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भूमि को निहित करना और उसका व्ययन.- (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम सं.……..) के प्रारंभ होने तक और किसी भी रीति से तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) के व्ययन के लिए रखी गयी ऐसी कोई भूमि, उस तारीख से, जब भूमि का कब्जा, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) द्वारा, राज्य

सरकार द्वारा विहित रीति से ऐसी भूमि के व्ययन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन के लिए लिया गया था या लिया जाता है, उसमें निहित समझी जायेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) उससे संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, अभिन्यास योजनाओं की तैयारी और संशोधन, भूमि के भू-खण्डों का उप-विभाजन और विलयन, भूमि का व्ययन, भू-उपयोग के विनिर्देश और परिवर्तन, अनुज्ञाएं प्रदान करने, अनुमोदन करने और राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अन्य कार्रवाइयों के संबंध में समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(3) किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, विनिश्चय, डिक्री या आदेश, इस अधिनियम के किसी उपबंध या तद्धीन बनाये गये नियमों के होते हुए भी, और किन्हीं लोपों या दोषों या प्रक्रिया के रूप या सक्षम मंजूरी या अनुमोदन का अभाव होते हुए भी, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) द्वारा जहां तक अपने नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के संबंध में किये गये भूमि के समस्त अंतरण, उप-विभाजन या भू-खंडों या भूमि के विलयन, नियमितीकरण, भू-उपयोग के विनिर्देश और परिवर्तन या अन्य समस्त कार्य, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन किये गये माने जायेंगे और समस्त प्रयोजनों के लिए विधिमान्य समझे जायेंगे।

(4) राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों के अध्यधीन रहते हुए, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको), समय-समय पर, इस

धारा के अधीन उपबंधित समस्त या किन्हीं मामलों के लिए और साधारणतया उन अन्य समस्त मामलों के लिए, जो उसकी राय में उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जायें, विनियम बना सकेगा। ऐसे विनियम राजपत्र में उनका प्रकाशन होने पर प्रभावी होंगे।"।

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 261 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 261 की उप-धारा (2) के विद्‌यमान खण्ड (xvii) के पश्चात् और विद्‌यमान खण्ड (xviii) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xvii-क) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) में रखी गयी और निहित की गयी भूमि के बारे में धारा 100-क के उपबंधों को प्रभावी करने की रीति विहित करना,"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने, उद्योग विभाग से आदेश संख्या एफ. 4(56) उद्योग/1/79 दिनांक 18.09.1979 के अधीन राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) को, अंतरित औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबंधन और प्रचालन में, कतिपय चुनौतियों का सामना किया है। इस अंतरण के पश्चात्, रीको के पदधारियों ने इन क्षेत्रों के भीतर अंतरणों, उप-विभाजनों और नियमितीकरणों के लिए अनुमोदन मंजूर किये हैं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2023 की सिविल अपील संख्या 2963 और अन्य संसक्त मामलों में दिनांक 20.04.2023 के अपने निर्णय में, विधि के किसी भी करार के अभाव में रीको के अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की थी।

परिणामत:, इन अंतरित औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा पूर्व में मंजूर की गयी अनुज्ञाओं की विधिमान्यता के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, रीको ने ऐसे क्षेत्रों के लिए अनुज्ञाएं जारी करना बंद कर दिया है, जिससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में, विद्यमान पट्टेदारों और भावी निवेशकों, दोनों के लिए कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। इसने राज्य के औद्योगिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसलिए, राज्य सरकार इन औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा 18.09.1979 से प्रस्तावित संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम के प्रभावी होने तक, की गयी समस्त कार्रवाइयों को विधिमान्य करना आवश्यक समझती है।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए रीको को आबंटित सरकारी भूमि, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन पट्टाधृत आधार पर दी जाती है। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा रीको के लिए अर्जित निजी भूमि के साथ-साथ औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आबंटित सरकारी भूमि का व्ययन, रीको डिस्पोजल आफ लैण्ड रूल्स, 1979 द्वारा शासित किया

गया है, जिसमें कानूनी बल की कमी है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उपरोक्त उद्धृत निर्णय में अभिनिर्धारित किया है।

इस गतिरोध से बाहर निकलने के लिए, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए आबंटित सरकारी भूमि रीको में निहित हो और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार उसका व्ययन किया जाये। प्रस्तावित संशोधन ऐसी भूमियों के व्ययन के लिए कानूनी समर्थन का, साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा किये गये पूर्ववर्ती अंतरणों और उप-विभाजनों और अन्य कार्रवाइयों के विधिमान्यकरण का उपबंध करेगा। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तावित है कि रीको को पहले से ही आबंटन द्वारा या उसे संभलाते हुए दी गयी भूमि को रीको के व्ययन में रखा गया समझा जायेगा और राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से व्ययन और अन्य समस्त कार्रवाईयां करने के लिए उसमें निहित माना जायेगा। साथ ही, विनियम विरचित करने के लिए रीको को सशक्त किया जाना भी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

हेमन्त मीणा,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, यदि अधिनियमित हो जाता है, तो राज्य सरकार को नियम बनाने तथा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) को इसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

हेमन्त मीणा,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

261. नियम बनाने की शक्ति.- (1) xx xx xx

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी-

(i) से (xvi) xx xx xx xx xx

(xvii) धारा 100 के अधीन औद्योगिक और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए भूमि के विक्रयों को विनियमित करने,

(xviii) धारा 101 के अधीन कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आबंटन विनियमित करने,

(xix) से (xliii) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

Bill No.7 of 2025

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Hemant Meena, **Minister-Incharge**)

<u>2025 का विधेयक सं.7</u>

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(हेमन्त मीणा, **प्रभारी मंत्री)**